www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 16.01.2017

जाली/ झूठे दस्तावेजों के आधार पर ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटी के आवंटन में को-आपरेटिव सोसाइटिज के तत्कालीन निरीक्षक एवं दो प्राइवेट व्यक्तियों को तीन वर्ष की कठोर कारावास

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, रोहिणी, नई दिल्ली ने श्री यू.एस. भटनागर, को-आपरेटिव सोसाइटिस, दिल्ली के पंजीयन कार्यालय में कार्यरत तत्कालीन निरीक्षक एवं दो प्राइवेट व्यक्तियों सर्व श्री गोकुल चन्द अग्रवाल व पी. के. तीरवानी को दोषी ठहराया और उन्हें 03 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई

सीबीआई ने दिनांक 26.12.2005 को मामला दर्ज किया जिसमें आरोप है कि को-आपरेटिव सोसाइटिस, दिल्ली के पंजीयक के कुछ कर्मियों ने श्री गोकुल चन्द अग्रवाल एवं कुछ अन्य अज्ञात प्राइवेट व्यक्तियों के साथ मिलकर वर्ष 2003 से 04 के दौरान आपराधिक षड़यंत्र में शामिल हुए। इसके अनुसरण में, आरोपी व्यक्तियों ने कपटपूर्ण तरीके से झूठी निरीक्षण रिर्पोट व इसकी ज़ाली सदस्यता सूची के द्वारा बिना उचित सत्यापन एवं पूछताँछ के ज़ाली/ झूठे दस्तावेजों के आधार पर गोदरेज को-आपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड पुर्नजीवित कर ली। उक्त सोसाइटी मंजूर हुई एवं सरकार को हानि व आरोपी व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से भूमि आवंटित करने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) को भेज दिया।

जाँच के पश्चात, सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत, रोहिणी, नई दिल्ली की अदालत में दिनांक 15.12.2016 को आरोप पत्र दायर हुआ। विचारण अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को कसूरवार पाया एवं उन्हे दोषी ठहराया।

****